न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारी: आशाराम डूडी, आर.ए.एस.)

अपीलार्थी

1.श्री रतनलाल पुत्र मंछाजी, जाति- सुथार, निवासी-गोयली, तह. व जिला-सिरोही
2.श्री जवानसिंह पुत्र केसरसिंहजी, जाति-राजपूत, निवासी-बालदा (वेलांगरी), तह.सिरोही

बनाम

प्रत्यर्थी

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, सिरोही, जिला- सिरोही

राजस्व अपील संख्या: 34/2018

"अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956"

उपस्थिति:

1. अधिवक्ता श्री भैरुपालसिंह बालावत, अपीलार्थीगण की ओर से
2. पेरोकार सरकार (नायब तहसीलदार, सिरोही), प्रत्यर्थी की ओर से

-: निर्णय :- **दिनांक 09 अप्रेल, 2018**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। अपीलार्थीगण की ओर से यह अपील तहसीलदार, सिरोही द्वारा प्रकरण संख्या 04/2018 में पारित निर्णय दिनांक 01.2.2018 बाबत ग्राम सिरोही I के खसरा संख्या 683, 684, 685, 686, 687, 695, 696, 697 व 705 रकबा क्रमश: 0.2600, 1.0800, 2.6900, 1.0800, 1.0500, 0.0800, 2.0300, 0.1100 व 0.6500 हेक्टेयर किस्म बारानी-1 भूमि का अपीलार्थीगण को पश्चात्वर्ती अतिक्रमी घोषित करते हुए मौके से भौतिक रुप से बेदखल करने, खडी फसल को कब्जे राज ली जाकर नियमानुसार नीलाम करने, जुर्माना आरोपित करने एवं तीन माह के सिविल कारावास की सजा के आदेश से व्यथित होकर प्रत्यर्थी के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

(2) प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी को सम्मन जारी किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रत्यर्थी की ओर से अपील की सुनवाई के दौरान पेरोकार सरकार द्वारा उपस्थिति दी गई।

(3) उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण को नोटिस की विधिवत तामिल करवाये बिना ही एवं अपीलार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस अपीलार्थीगण को तामिल हुये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण के विरुद्ध एकतरफा निर्णय पारित किया है जो विधि सम्मत नही है। अधनीस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण को नोटिस की तामिल नही करवाने से अपीलार्थीगण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत नही कर सके है। अधीनस्थं न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व इस तथ्य पर गौर नही किया है कि अपीलार्थीगण अलग अलग गांव के निवासी है एवं उनके गांव में भी अपीलार्थीगण ने

.....पेज दो पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

न्यायालय अति० जिला कलेक्टर सिरोही (राज०)

कभी भी राजकीय बिलानाम भूमि पर अतिक्रमण नही किया है। विवादित भूमि पर अपीलार्थीगण का कब्जा किस तरह से है, इस बाबत कोई रेकर्ड/साक्ष्य अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध नही है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर भी गौर नही किया है कि अपीलार्थीगण को पूर्व में विवादित भूमि के मौके से भौतिक रुप से बेदखल नही किया गया था एवं न ही पूर्व की मौका बेदखली फर्द अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध है। अपीलार्थीगण को पूर्व में किस प्रकरण में पारित निर्णय की पालना में मौके से बेदखल किया गया था, इस बाबत भी कोई साक्ष्य उपलब्ध नही है। अधनीस्थ न्यायालय की पत्रावली में पश्चातवर्ती अतिचार बाबत कोई साक्ष्य उपलब्ध नही होते हुए भी केवल हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर अपीलार्थीगण को पश्चातवर्ती अतिचारी मानकर सिविल कारावास की सजा का आदेश पारित किया गया है जो विधि सम्मत नही है। अत: अपीलार्थीगण की अपील को स्वीकार किया जाकर अपीलाधीन निर्णय को निरस्त किया जावे। जबकि पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि हल्का पटवारी, सिरोही प्रथम द्वारा अपीलार्थीगण के विरुद्ध संवत् 2074 में उक्त राजकीय भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण बाबत रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर नियमानुसार प्रकरण दर्ज किया जाकर अपीलार्थीगण को पश्चातवर्ती अतिक्रमण बाबत नोटिस जारी किये गये, लेकिन अपीलार्थीगण ने नोटिस लेने से इनकार किया। अपीलार्थीगण को उक्तानुसार अपीलाधीन प्रकरण की जानकारी होने के बाद भी अपीलार्थीगण अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नही हुये। जिस पर अपीलार्थीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर बाद जांच प्रकरण में अपीलार्थीगण का उक्त राजकीय बिलानाम भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित होने से विधि सम्मत निर्णय पारित किया गया है। अत: अपील को खारिज किया जावे।

(4) उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो यह पाया गया कि हल्का पटवारी, सिरोही प्रथम द्वारा अपीलर्थीगण के विरुद्ध संवत 2074 में ग्राम सिरोही-ा के खसरा संख्या 683, 684, 685, 686, 687, 695, 696, 697 व 705 रकबा क्रमश: 0.2600, 1.0800, 2.6900, 1.0800, 1.0500, 0.0800, 2.0300, 0.1100 व 0.6500 हेक्टेयर किस्म बारानी-1 भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण बाबत रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थीगण के विरुद्ध प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलार्थीगण को पश्चातवर्ती अतिक्रमण बाबत नोटिस जारी किये गये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस पर तामिल कुनिन्दा की अंकित रिपोर्ट अनुसार एक अपीलार्थी ने नोटिस को पढ़कर नोटिस की तामिल करने से मना किया, जिस पर नोटिस खुले मकान पर चस्पा किया गया है एवं मौके पर उपस्थित गवाह ने हस्ताक्षर करने से मना किया तथा दूसरे अपीलार्थी की माता ने नोटिस लिया लेकिन हस्ताक्षर करने से मना किया व मौके पर उपस्थित गवाह ने भी हस्ताक्षर करने से मना किया है। इस प्रकार, अपीलार्थीगण को नोटिस की तामिल होने के बावजूद भी अपीलार्थीगण अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नही हुये।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली अवलोकन से यह तथ्य साबित होता है कि अपीलार्थीगण द्वारा संवत 2074 में उक्त राजकीय बिलानाम भूमि पर अतिक्रमण कर

.....पेज• तीन पर

अति० जिला कलक्टर
सिरोही (राज०)

काश्त की गई है, लेकिन प्रकरण में अपीलार्थीगण का विवादित भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित नही होता है। ऐसी स्थिति में, अपीलार्थीगण की अपील को आंशिक रुप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण के विरुद्ध सिविल कारावास की सजा के पारित आदेश को निरस्त किया जाना न्याय संगत प्रतीत होता है।

अत: अपीलार्थीगण की अपील आंशिक रुप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, सिरोही के निर्णय दिनांक 01.2.2018 के द्वारा अपीलार्थीगण को विवादित भूमि के मौके से भौतिक रुप से बेदखल करने, खडी फसल को कब्जे राज ली जाकर नियमानुसार नीलाम करने एवं जुर्माना आरोपित करने के पारित आदेश को यथावत बहाल रखते हुए सिविल कारावास की सजा के आदेश को निरस्त किया जाता है। निर्णय सुनाया गया।

09.04-18

(आशाराम डूडी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सिरोही